| आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1 | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2 | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3 |
|---|---|---|

# Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Appeal Case No.- 04 of 2018

Dist.:-Patna

**PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I.A.S., Chairman-Cum-Member.**

Deepak Kumar - Petitioner/ Appellant

Versus

The State of Bihar - Respondent/ Opp. Party

***Appearance :***

**For the Petitioner :**
**For the OP :**

**O R D E R**

**06.08.2018**

प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद श्री दीपक कुमार (सेवामुक्त) निम्नवर्गीय लिपिक द्वारा निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार के आदेश ज्ञापांक– VIII/स्था0 (अरा0)ई1–227/2009–2625 दिनांक–16.06.2017 के विरुद्ध दायर किया गया है।

अपीलार्थी उपस्थित। सहायक निबंधन महानिरीक्षक उपस्थित।

श्री दीपक कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक को विभागीय आदेश सं0– 2768 दिनांक– 25.11.2003 के द्वारा अनुकम्पा के आधार पर जिला अवर निबंधन कार्यालय, पटना में नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात् विभागीय ज्ञापांक– 85 दिनांक– 11.01.2010 के द्वारा इन्हें जिला अवर निबंधन कार्यालय, नालन्दा में पदस्थापित किया गया। श्री दीपक कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक को विभागीय कार्यालय आदेश सं0– 6055 दिनांक– 28.11.2012 के द्वारा स्थानान्तरण नालन्दा जिला से सहायक निबंधन महानरीक्षक का कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ में किया गया। स्थानान्तरण के पश्चात्

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1 | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2 | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3 |
|---|---|---|
| | योगदान करने के बाद दिनांक– 22.12.2012 से दिनांक– 16.09.2013 तक कार्यालय से अनाधिकृत रुप से अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने के कारण कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता, सरकारी आदेश की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता का आरोप प्रमाणित पाया गया। उक्त आरोप के विरुद्ध श्री दीपक कुमार पर विभागीय आदेश सं0– 2726 दिनांक– 26.06.2014 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी जिसके लिए सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।<br>श्री दीपक कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक के विरुद्ध गठित आरोप संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाया गया। तत्पश्चात् श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी जो संतोषप्रद नहीं पाया गया। फलतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय आदेश सं0– 1633 दिनांक– 09.04.2015 द्वारा प्रमाणित आरोपों के लिए निम्नलिखित दंड अधिरोपित किया गयाः–<br>(i) चेतावनी की सजा, जिसे सेवा अभिलेख में दर्ज किया जायेगा।<br>(ii) अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि को "काम नहीं तो वेतन नहीं" के आधार पर विनयमित।<br>(iii) इनका पदस्थापन जिला निबंधन कार्यालय, भोजपुर (आरा) में किया गया।<br>श्री कुमार द्वारा उक्त आदेश के आलोक में अवर निबंधन कार्यालय, जगदीशपुर (भोजपुर) दिनांक– 27.06.2015 को योगदान के बाद कार्यालय से अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित रहने लगे। इस संबंध में भी श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। परन्तु सम्यक समीक्षोपरांत स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।<br>अतः उक्त आरोप के विरुद्ध विभागीय आदेश सं0– 2908 दिनांक– 14. 06.2016 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए पुनः विभागीय | |

6/8/18

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1 | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2 | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3 |
|---|---|---|
| | आदेश सं0– 3674 दिनांक– 03.08.2016 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इसके संचालन पदाधिकारी सहायक निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना को नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकाकरी द्वारा आरोप पुनः प्रमाणित पाया गया। इसके उपरांत श्री कुमार से स्पष्टीकरण (द्वितीय कारण पृच्छा) उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।<br><br>इस बीच उन्हें पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए अपने कार्यालय में योगदान समर्पित करने का अवसर दिया गया तथा कार्यालय (मुख्यालय) बुलाकर समझाया भी गया। इस क्रम में उनके अनुरोध पर जिला अवर निबंधक, भोजपुर से उनकी प्रतिनियुक्ति अवर निबंधन कार्यालय, जगदीशपुर से जिला निबंधन कार्यालय भोजपुर करायी गयी किन्तु श्री कुमार ने योगदान नहीं दिया। स्पष्ट है कि श्री दीपक कुमार पटना के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर सेवा करने के इच्छुक नहीं है जो सेवा शर्त्तों के विरुद्ध है।<br><br>अतः पूर्ण विचारोपरांत श्री दीपक कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक को इनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरुप पत्र निर्गत की तिथि से सेवामुक्त करने का वृहत दंड अधिरोपित किया गया।<br><br>अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि उनके माता–पिता दोनों का असामयिक निधन हो चुका है। उनकी नियुक्त अनुकम्पा के आधार पर की गई है। उनके परिवार में उनपर आश्रित दो छोटी अविवाहित बहनें है और वह भी अविवाहित हैं। दोनों बहनें उनके साथ पटना में किराये के मकान में रहती हैं तथा भविष्य निर्माण हेतु संघर्षरत् है। माता–पिता दोनों के असामयिक निधन हो जाने के कारण उन्हें कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। उनकी एक बहन की तबियत भी हमेशा खराब रहती है, जिसका ईलाज पटना में चल रहा है। उसकी देखभाल के लिए उन्हें बहन के साथ हमेशा रहना पड़ता है। | |

HM 6/8/18

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1 | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2 | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3 |
|---|---|---|

वह खुद भी जटिल नेत्र रोग से ग्रसित है जिसका ईलाज पटना में चल रहा है।

विषम परिस्थितियों के कारण वे अवसाद ग्रस्त तथा नर्वस ब्रेक डाउन रोग से ग्रसित हो गये है। जिसके कारण स्नायु दूर्बलता के कारण वह अत्यन्त कमजोर हो गये है। उनके द्वारा कहीं अकेले आना-जाना भी संभव नहीं हो पाता था।

ऐसी विषम परिस्थिति में उनका पदस्थापन पटना से दूर हो जाने पर वहाँ अकेले रह कर कार्य करने में कठिनाई हो रही थी। साथ ही पटना में किराये के मकान में अकेले रह रहीं दो छोटी अविवाहित बहनों को अकेले छोड़ कर जाना भी संभव नही हो पा रहा था। माता पिता के निधन के बाद से वे हमेशा उनके साथ ही रहीं है, उनका पटना में रह कर कैरियर निर्माण उनकी बाध्यता थी।

उन्होंने कई बार अपने पदाधिकारियों से मिलकर अपनी परिस्थितियों से अवगत कराया था तथा आवेदनों के माध्यम से भी अनुरोध किया था कि उनका पदस्थापन ऐसे स्थान पर करने की कृपा की जाए जहाँ से कार्य करते हुए वे अपने कार्यालय तथा परिवार की जिम्मेवारियों को साथ-साथ सुगमता से निभा सके।

विभागीय आदेश द्वारा उनका पदस्थापन जिला अवर निबंधन कार्यालय, भोजपुर, आरा में किया गया। उनके द्वारा जिस-दिन वहाँ योगदान दिया उसके अगल दिन ही उनकी प्रतिनियुक्ति अवर निबंधन कार्यालय जगदीशपुर में कर दी गई और बाद में पदस्थापन भी वहीं कर दिया गया। योगदान देने के बाद प्रतिदिन जगदीशपूर से पटना आने-जाने में असमर्थता व्यक्त करने के साथ-साथ उनके द्वारा बताया गया कि पटना से जगदीशपूर का आवागमन रुट अत्यन्त कठिन है।

इस संबंध में उन्होंने अपने पदाधिकारियों से मिलकर अपनी कठिनाईयों को बताया तथा दिनांक- 31.03.2016 से 14.01.2017 को

6/4/18

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1 | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2 | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3 |
|---|---|---|

रजिस्टर्ड डाक द्वारा कार्यालय को आवेदन भी भेजा।

दिनांक– 18.05.2017 को उनकी प्रतिनियुक्ति जगदीशपुर से जिला अवर निबंधक कार्यालय, भोजपूर, आरा में की गई, जिसकी सूचना उन्हें विलम्ब से मिली, जिसके कारण उन्होंने अपना योगदान दिनांक– 14.06. 2017 को दिया था परन्तु दिनांक– 16.06.2017 को विभागीय आदेश निर्गत कर उन्हें सेवा मुक्त कर दिया।

सहायक निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि श्री दीपक कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक को विभागीय आदेश सं0– 2768 दिनांक– 25.11.2003 के द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किया गया था। श्री कुमार को सेवा काल में विभिन्न जिलों यथा– पटना, नालंदा, पूर्णियाँ एवं भोजपुर जिला निबंधन कार्यालय में पदस्थापित किया गया था।

उक्त सभी जिला निबंधन कार्यालयों से श्री दीपक कुमार बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रुप से लम्बी–लम्बी अवधियों तक लगातार अनुपस्थित रहें हैं। अनाधिकृत रुप से पदस्थापन कार्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है। श्री कुमार द्वारा समर्पित अपने सभी स्पष्टीकरणों में एक ही कारण दिये है, जो उन्होंने सेवा अपील वाद– 04/2018 में अपना लिखित अभिकथन दिनांक– 04.07. 2018 में समर्पित किया था ।

श्री दीपक कुमार कार्यालय से बिना किसी सूचना के लगातार अनाधिकृत रुप से अनुपस्थिति का Permanent Offender है। उन्होंने अपने अपील अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है, पुनरावृति की गयी है। अतएव श्री दीपक कुमार का अपील अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

दोनों पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के परीक्षण के पश्चात में इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि श्री कुमार के विरुद्ध कोई defalcation (गबन) या

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1 | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2 | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3 |
|---|---|---|
| | आपराधिक मामला नहीं है। साथ ही श्री कुमार को दिया गया दंड आनुपातिक (Proportionate) नहीं है।<br>अतः निबंधन महानरीक्षक को न्यायहित में निदेश दिया जाता है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को अनुपालन करते हुए मामले में पुनर्विचार कर Fresh Order पारित करें।<br><br>**लेखापित एवं संशोधित**<br>6/8/18<br>(सुनिल कुमार सिंह)<br>अध्यक्ष-सह-सदस्य,<br>राजस्व पर्षद, बिहार।<br><br>6/8/18<br>(सुनिल कुमार सिंह)<br>अध्यक्ष-सह-सदस्य,<br>राजस्व पर्षद, बिहार। | |